रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 246] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 3, 1973/आषाढ़ 12, 1895

No. 246] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 3, 1973/ASADHA 12, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd July, 1973

S.O. 371(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

(1) This Order may be called the Exports (Control) Thirteenth Amendment Order, 1973.

(2) In Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968, after item No. 27(v) the following item shall be added:—

(vi) Forestry seeds including tree seeds, hedge seeds and tarwar seeds.

[No. E(C)O, 1968/AM(103)]

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई, 1973

क० आ० 371(अ):—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

(1) इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) तेरहवां संशोधन आदेश, 1973 की संज्ञा दी जाए ।

(2) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1 के भाग "बी" में मद संख्या 27(5) के बाद निम्नलिखित मद को जोड़ा जाएगा :—

(6) वृक्ष—बीज, बाड़ा—बीज और तरुवर—बीज सहित वन—बीज ।

[संख्या : ई(सी) ओ, 1968/ए एम (103)]

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973